– : : न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर : : –

बइजलाइस श्री परसाराम आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 89 / 2011

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. कमला पत्नी हडमानराम पुत्री नथूराम जाति मेघवाल निवासी भाकरोद तहसील व जिला नागौर 2. मुनालाल दत्तक पुत्र मलाराम जाति मेघवाल निवासी सिंघाणी तहसील व जिला नागौर।		1. पेमाराम पुत्र नथूराम के कायम मुकाम 1/1 शैतानराम पुत्र पेमाराम 1/2 शांति बेवा पेमाराम 2. शिवरी पुत्री मलाराम 3. भूरी पुत्री मलाराम जातियान मेघवाल निवासी सिंघाणी तहसील व जिला नागौर 4. कैलाश पुत्र रामदेव 5. सोहन पुत्र रामदेव जातियान मेघवाल निवासी जोशीयाद तहसील व जिला नागौर 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर। 7. उप पंजीयक नागौर।

दावा अधीन धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत घोषणा खातेदारी, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 02.06.2017

वादी की ओर वाद पत्र प्रस्तुत करता है कि, यह है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एक ही पूर्व स्व. श्री नथूराम के वंशज है। वंशावली के अनुसार स्व. नथूराम की पुश्तैनी भूमि मे वादी संख्या 1 का 1/4 प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा तथा नथूराम के पुत्र स्व. मलाराम के उत्तराधिकारी वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/4 हिस्सा तथा नथूराम की पुत्री स्व. गुरगा के उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का 1/4 हिस्सा है।

यह है कि वाके सरहद मौजा सिघाणी तहसील नागौर जिला नागौर मे स्व. नथूराम की खातेदारी का खसरा नं. 170 कुल रकबा 34 बीघा 2 बिस्वा मे आधा हिस्सा 17 बीघा 1 बिस्वा व खसरा नरं. 222 कुल रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा थी। स्व. नथूराम के देहांत के पश्चात उपरोक्त भूमि की खातेदारी गलत नामान्तरकरण के आधार पर उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 पेमाराम व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता स्व. मलाराम के नाम से कर दी गई, जबकि स्व. नथूराम की उपरोक्त पुश्तैनी भूमि मे उनकी पुत्री वादीसंख्या 1 कमला व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की पुत्री स्व. गुरगा भी बहिस्सा बराबर की हकदार थी तथा उन प्रत्येक का भी वादग्रस्त भूमि मे 1/4 हिस्सा था। उपरोक्त गलत नामान्तरकरण की वादी संख्या 1 कोई जानकारी नही थी। उपरोक्त दोनो खसरान की कुल 27 बीघा 18 बिस्वा भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता मलाराम व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 तथा उनकी माता गुरगां ने खसरा नं. 170 के सहखातेदारो के साथ मिलकर सम्पूर्ण खसरान की भूमि अन्य लोगो को विक्रय कर दी तथा प्रतिफल की राशि भी इन्होने प्राप्त की थी और इसके पश्चात खसरा नम्बर 22 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा मे से स्व.

सहायक कलेक्टर
(SDO), नागौर

मलाराम व प्रतिवादी संख्या 1 पेमाराम यने 3.15 बीघा भूमि अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दी । जिसकी प्रतिफल की राशि भी इनहोने प्राप्त की थी। इस प्रकार खसरा नं. 222 के शेष रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा मे प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का कोई हक व हिस्सा नही रहा बल्कि उक्त शेष भूमि के एकमात्र हकदार वादी संख्या 1 व 2 है ओर यह भूमि वादी संख्या 1 के 1/4 हिस्से से केवल 2.1/2 बिस्वा अक्षरे ढाई बिस्वा अधिक है। जिसका हकदार वादी संख्या 2 भी है क्योकि उसका भी वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि मे स्व0 मलाराम का दतक पुत्र होने से हक व हिस्सा है।

यह है कि वादी संख्या 2 मुनालाल प्रतिवादी संख्या 1 पेमाराम का जांयदा पुत्र है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता मलाराम का दतक पुत्र है। संवत 2050 की अक्षय तृतीया को वादी संख्या 2 मुनालाल को 4 वर्ष की उम्र मे उसके माता पिता ने स्व. मलाराम व उसकी औरत को भाई बंधो व रिश्तेदारो की मौजूदगी मे गोद दिया था तथा मलाराम व उसकी औरत ने गोद लिया थ तब से वादी संख्या 2 मलाराम के साथ ही उनके पुत्र की हैसियत से रहता था तथा मलाराम के देहान्त के पश्चात पुत्र की हैसियत से दाह संस्कार व अन्य सभी धार्मिक रस्मे वादी संख्या 2 ने ही अदा की थी। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने दिनांक 15.12.2010 को वादी संख्या 2 को स्व. मलाराम का दतक पुत्र होना व अपना भाई होना 100 रूपये के स्टाम्प पर लिखित मे स्वीकार किया था। वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि खसरा नं. 222 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा मे वादी संख्या 2 का भी हक व हिस्सा है।

यह है कि वादग्रस्त खसरा नं. 222 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा मे मलाराम की उतराधिकारी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा क्योकि स्व. मलाराम ने अपने बंट व हिस्से की भूमि से अधिक भूमि का विक्रय अन्य व्यक्तियो को कर दिया था। इसलिये खसरा नम्बर 222 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा एक मात्र वादीगण के बंट व कब्जे काश्त का है।

यह है कि प्रतिवादी संख्या 4,5व स्व. मलाराम द्वारा पुश्तैनी भूमि मे से अपने हक व हिस्से की भूमि अन्य व्यक्तियो को विक्रय कर देने के बावजूद भी वादीगण के बंट हक व हिस्से की भूमि की खातेदारी स्व. मलाराम के नाम दर्ज होने से व सम्वत 2067 मे मलाराम के देहान्त होने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा वाग्रस्त भूमि अपने खातेदारी मे दर्ज करवाने का प्रयास करने व दर्ज होने पर अन्य व्यक्तियो को हस्तान्तरण करने व वादीगण के कब्जे काश्त मे दखलदांजी करने की धमकीयां देने से बमुकाम सिधाणी तहसील नागौर मे पैदा हुआ। इसलिये मा. अदालत हाजा को वादीगण के वाद को सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 पेमाराम फोत हो जाने से उसके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 4 व 5 व प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 की तरफ से इकबाली जवाबदावा पेश किया ।

वादी ने वाद के समर्थन मे प्रदर्श 1 से प्रदर्श 5 प्रस्तुत किये तथा मौखिक साक्ष्य मे वादी संख्या 2 मुन्नालाल के बयान करवाये तथा शांति पत्नि स्व. पेमाराम, शैतानराम पुत्र स्व. पेमाराम, कमला पत्नि हडमानराम सिवरी पत्नि मलाराम के शपथपत्र पेश किये।

सहायक कलेक्टर
(SDO), नागौर

कमला बनाम पेमाराम
राजस्व वाद संख्या 89/2011

बहस वकुलाय सनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। म्यूटेशन संख्या 596 दिनांक 5.10.2009 हक तर्कनामा के द्वारा खसरा नं. 222 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा वादी संख्या 2 के पिता मलाराम पुत्र नथूराम के नाम रेकर्ड मे दर्ज किया गया। वादग्रस्त खेत वादीगण के पुश्तेनी खेत है। प्रतिवादीगण ने भी इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद को स्वीकार किया है। वादग्रस्त खसरा नं. 222 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा मे पेमला, मला पिसरान नथू की खातेदारी मे दर्ज साबित है। वादी संख्या 1 कमला स्व. नथू की पुत्री है एवं वादी संख्या 2 गुन्नालाल खातेदार मला का दत्तक पुत्र है। वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर खेत खसरा न. 222 की शेष 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि मौजा सिंघाणी तहसील नागौर एकमात्र वादीगण के बंट वे खातेदारी मे घोषित करवाने की इस्तदुआ की है। प्रतिवादीगण ने भी वाद मे ईकबाली जवाब दावे प्रस्तुत कर वादीगण के वाद को डिकी किये जाने बाबत अपनी सहमतियां जरिये इकबाली जवाब के प्रस्तुत किये है। उपरोक्त विवचेन से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है।

खेत खसरा नं 222 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा मौजा सिंघाणी तहसील नागौर एक मात्र वादीगण की खातेदारी व तन्हा बंट कब्जे काश्त की घोषित की जाती है। वादग्रस्त खेत पर वादीगण के कब्जे काश्त मे दखल दस्तांजी नही करने व न अन्य से करवाने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किये जाते है। इसी अनुसार डिकी पर्चा जारी हो।

नियमानुसार आवश्यक स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत करने पर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नागौर को लिखा जावे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

निर्णय आज दिनांक 02.06.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

–: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ), नागौर :–

डिगरी बमुकद्दमे इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मुकाम नागौर

इजलास श्री परसाराम आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. कमला पत्नी हड़मानराम पुत्री नथूराम जाति मेघवाल निवासी भाकरोद तहसील व जिला नागौर 2. मुनालाल दत्तक पुत्र मलाराम जाति मेघवाल निवासी सिंघाणी तहसील व जिला नागौर।		1. पेमाराम पुत्र नथूराम के कायम मुकाम 1/1 शैतानराम पुत्र पेमाराम 1/2 शांति बेवा पेमाराम 2. शिवरी पुत्री मलाराम 3. भूरी पुत्री मलाराम जातियान मेघवाल निवासी सिंघाणी तहसील व जिला नागौर 4. कैलाश पुत्र रामदेव 5. सोहन पुत्र रामदेव जातियान मेघवाल निवासी जोशीयाद तहसील व जिला नागौर 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर। 7. उप पंजीयक नागौर।

राजस्व वाद 89/2011 सन् 2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .....
....व हाजरी.....मिनजानिब मुद्दई व .....
.....मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है खेत खसरा नं 222 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा मौजा सिंघाणी तहसील नागौर एक मात्र वादीगण की खातेदारी व तन्हा बंट कब्जे काश्त की घोषित की जाती है। वादग्रस्त खेत पर वादीगण के कब्जे काश्त मे दखल दस्तांजी नही करने व न अन्य से करवाने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किये जाते है।
..... लीज.....
...मुबलिक.....बाबत्.....खर्चा इस मुकद्दमे मय सूद व शहर.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करें। बसीब्त तेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....माह.....सन् 20.....
....

सहायक कलक्टर (SDO)
नागौर

दस्तखत.....
ओंहदा.....